बीएसएनएल एम्प्लॉईज यूनियन
नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉईज
बीएसएनएल मजदूर संघ
टेलीकॉम एम्प्लॉईज प्रोग्रेसिव यूनियन

दिनांक 02.01.2019

8 और 9 जनवरी, 2019 को दो दिवसीय आम हड़ताल.

<u>सभी एक साथ शामिल हों.</u>

कॉमरेड्स,

हम सरकार की बीएसएनएल विरोधी नीतियों से बीएसएनएल की रक्षा करने के लिए लगातार संघर्षरत हैं। हमारे द्वारा किए गए के संघर्षों की वजह से ही हम सब्सिडियरी टॉवर कंपनी को रोक पाने में सफल हुए हैं। बीएसएनएल, जो 2004-05 में रु 10,000 करोड़ के मुनाफे में था, अब हानि वाली कंपनी बन चुका है। इसकी वजह केवल सरकार की बीएसएनएल विरोधी और निजी समर्थक नीतियां ही है। बीएसएनएल को कमजोर करने की हर संभव कोशिशों के बाद, अब सरकार कह रही है, बीएसएनएल कर्मचारी वेज रिवीजन के लिए पात्र नही हैं, क्योंकि बीएसएनएल अब घाटे में है। यह कर्मचारियों के साथ बड़ा अन्याय है। हमें यह समझना जरूरी है कि बीएसएनएल कर्मचारियों को वेज रिवीजन से इनकार करना, सरकार की बीएसएनएल को खत्म करने की बड़ी साजिश का हिस्सा है। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि किस तरह सरकार रिलायंस जियो पर हर तरह से मेहरबान है। केवल चालाकी पूर्ण तरीकों से ही रिलायंस जियो बाज़ार पर कब्जा किए हुए है। रिलायंस जियो को मदद करने के लिए नियमों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। रिलायंस जियो को लाभ पहुंचाने के लिए पीएमओ, डॉट, ट्राई सभी अतिरिक्त रूप से कार्य कर रहे हैं।

यह सब कुछ केवल दूरसंचार के क्षेत्र में ही नही हो रहा है। सभी क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर पर सरकार के हमले हो रहे हैं। भारतीय रेलवे का भी तीव्र गति से निजीकरण हो रहा है। कॉर्पोरेट्स को लाभ पहुंचाने के लिए रक्षा उत्पाद करने वाली पब्लिक सेक्टर इकाइयों को खत्म किया जा रहा है। कॉर्पोरेट्स द्वारा पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लूटा जा रहा है। उनके द्वारा कर्ज का पुनर्भुगतान भी नही किया जाता है। करोड़ों का कर्ज सरकार द्वारा माफ (write off) किया जा रहा है। अभी तक, मोदी सरकार द्वारा रु 2,30,000 करोड़ का बैड लोन (डूबत का कर्ज) राइट ऑफ किया जा चुका है, इनमें से ज्यादातर बड़े कॉर्पोरेट्स द्वारा लिया गया कर्ज है। परिणामस्वरूप, सभी प्रमुख पब्लिक सेक्टर बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित, हानि की स्थिति में पहुंच चुके हैं।

1991 से अभी तक हमारे देश में 3.63 लाख करोड़ का विनिवेश (Disinvestment) हो चुका है। इसमें से विगत 4 वर्षों में केवल मोदी सरकार द्वारा किया गया विनिवेश ही रु 2.1 लाख करोड़ का है। इससे हम वर्तमान सरकार द्वारा पब्लिक सेक्टर पर किए जा रहे हमलों की तीव्रता का अंदाजा लगा सकते हैं। मोदी सरकार द्वारा "नीति आयोग" का गठन भी पब्लिक सेक्टर के निजीकरण के एकमात्र उद्देश्य को लेकर ही किया गया है। निःसंदेह, निजी क्षेत्र को लाभान्वित करने के लिए ही पब्लिक सेक्टर को नेस्तनाबूत किया जा रहा है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था " भारत सरकार के उपक्रम (Public Sector Undertakings) आधुनिक भारत के मंदिर है।" किन्तु, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है " पब्लिक सेक्टर का जन्म तो मरने के लिए ही हुआ है। "

सरकार महंगाई कम करने और रोजगार उपलब्ध कराने के अपने चुनावी वादों को पूर्ण करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। न्यूनतम मजदूरी में वृध्दि कर रु 18,000 करने की मांग भी वह अ-स्वीकार कर रही है। इसके अलावा, नियोक्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए वर्कर्स द्वारा संघर्षों से अर्जित अधिकारों पर भी श्रम कानूनों में परिवर्तन कर मोदी सरकार कई प्रकार से हमले कर रही है। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट (निश्चित अवधि के लिए रोजगार) को शुरू किया जा रहा है, जिससे नियमित नौकरियां (regular jobs) खत्म हो जावेगी।

यह समय की मांग है कि भारत की वर्किंग क्लास एकजुटता के साथ सरकार की कर्मचारी विरोधी और निजी समर्थक नीतियों का मुकाबला करें। अभी तक, इन नीतियों का प्रतिकार करने के लिए 17 आम हड़ताल हो चुकी है। आगामी आम हड़ताल 8 और 9 जनवरी, 2019 को होने जा रही है। BSNLEU, NFTE, BSNL MS एवं TEPU ने संयुक्त रूप से सभी बीएसएनएल कर्मियों को इस हड़ताल में शामिल होने का आव्हान किया है। आओ, हम सब एक साथ शामिल हो कर बीएसएनएल में हड़ताल को सफल बनाएं।

<u>मांगपत्र (चार्टर ऑफ डिमांड्स)</u>

1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सार्वभौमिकरण और कमोडिटी मार्किट में सट्टेबाजी पर रोक के जरिए मूल्यवृद्धि पर नियंत्रण के त्वरित उपाय
2) रोजगार की उत्पत्ति के ठोस उपायों के माध्यम से बेरोजगारी पर अंकुश
3) बगैर किसी अपवाद या छूट के सभी बुनियादी श्रम कानूनों का कठोरता से पालन व श्रम कानूनों का हनन करने पर कड़ी दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान
4) सभी वर्कर्स के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवच
5) Rs 18,000/- प्रति माह न्यूनतम वेजेस, सूचीकरण (इंडेक्सेशन) के प्रावधान के साथ
6) सभी वर्कर्स के लिए सुनिश्चित बढ़ी हुई पेंशन जो रु.3000/- प्रति माह से कम न हो
7) सेंट्रल और स्टेट पीएसयू में विनिवेश और रणनीतिक विक्रय पर रोक
8) स्थायी कार्यों में ठेकेदारी प्रथा पर रोक और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को समान कार्य के लिए नियमित कर्मियों की तरह समान वेतन और अन्य लाभ
9) बोनस और प्रोविडेंट फण्ड के भुगतान और पात्रता सभी प्रकार की सीलिंग से मुक्त हो ; ग्रेच्युटी की सीमा में वृद्धि
10) आवेदन प्रस्तुति पश्चात 45 दिन की अवधि में ट्रेड यूनियन्स का सुनिश्चित रजिस्ट्रेशन और ILO कन्वेंशन C 87, C 98 का त्वरित पुष्टिकरण
11) श्रम कानूनों में संशोधन पर रोक
12) रेल्वे, बीमा और डिफेंस में FDI पर रोक

सधन्यवाद

आपका

(P. ABHIMANYU)
GS, BSNLEU

(C. SINGH)
G.S. NFTE

(SURESHKUMAR)
GS BSNLMS.

GS - TEPU
(V. Subbarao)